

**निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भदेसर जिला चित्तौडगढ**

पीठासीन अधिकारी - सुश्री अंजू शर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 137/2016

दिनांक : 08.11.2021

अनवान

1. भेरूलाल पिता भगवाना जाति जाट उम्र वयस्क निवासी बागुण्ड तहसील भदेसर।
  2. किशनलाल पिता भगवाना जाति जाट उम्र वयस्क निवासी बागुण्ड तहसील भदेसर।
  3. भगवानी बाई पत्नि भगवाना जाति जाट उम्र वयस्क निवासी बागुण्ड तहसील भदेसर।
- ..... वादीगण

॥ बनाम ॥

1. सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौडगढ
2. सरकार जरिये जिला कलेक्टर महोदय, चित्तौडगढ

..... प्रतिवादीगण



वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

बाबत कृषि आराजीयात की घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती

उपस्थित - श्री प्रवीण जोशी वकील वादीगण

हस्तगत वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वादपत्र राजस्थान का तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89, 188 के तहत इस आ य का प्रस्तुत किया गया कि :-

1. यह कि वादीगण के खातेदारी की मौजा दौलतपुरा पटवार हल्का बागुण्ड, तहसील भदेसर की साबिक आ.नं. 84/ख रकबा 05 बीघा एवं नवीन सेटलमेंट जमाबंदी अनुसार खाता सं. आराजी नम्बर 110 रकबा 0.54 हैक्टेयर दर्ज रेकार्ड है। साक्ष्य में नकल जमाबंदी संवत् 2069-2072, मिलान क्षेत्रफल संलग्न वाद पत्र की है।

2. यह कि आ.नं. 84/ख रकबा 05 बीघा भूमि वादीगण के पिता ने अमरचंद पिता सोराम जाट निवासी बागुण्ड से दिनांक 22.06.1983 को बिल एवज 8000/- रुपये में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की उसी दिनांक से 05 बीघा भूमि पर काबिज होकर कृषि करते चले आ रहे हैं एवं वर्तमान में भी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है।

3. यह कि तहसील भदेसर का वर्ष 2010-11 में भू प्रबंध अधिकारियों द्वारा भू प्रबंध किया गया। भू प्रबंध के दरम्यान वादीगण के खातेदारी में दर्ज आ.नं. 84/ख रकबा 05 बीघा के

नवीन आराजी नम्बर 110 रकबा 0.54 हैक्टयर कायम कर शेष आराजी बिलानाम सरकार दर्ज कर दिया जबकि वादीगण वर्तमान में 05 बीघा भूमि पर काबिज होकर काशत करते चले आ रहे हैं जिससे वादीगण की ओर से वाद पत्र घोषणात्मक डिक्री का पेश है।

4. यह कि भू प्रबंध के पूर्व ही उक्त आराजीयात वादीगण के खाते में खातेदारी दर्ज थी ऐसी स्थिति में भू प्रबंध अधिकारियों को वादीगण की खातेदारी की आराजीयात को बिलानाम दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं था फिर भी भू प्रबंध अधिकारियों ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर बिलानाम दर्ज कर दी जबकि वादीगण आज भी मौके पर 05 बीघा पर काबिज होकर काशत करते चले आ रहे हैं। इसलिये उक्त आराजीयात को वादीगण अपनी खातेदारी में पुनः दर्ज करा उसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरुस्ती कराये जाने के अधिकारी होने से वाद पत्र इन्द्राज दुरुस्ती पेश है।
5. यह कि विवादित आराजीयात सेटलमेंट के पूर्व वादीगण के खातेदारी में दर्ज रेकार्ड थी। मौके पर वादीगण काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे हैं एवं वर्तमान में भी आराजीयात वादीगण के कब्जे काशत में है फिर भी ऐसा परिवर्तन भू प्रबंध अधिकारियों ने किया जो गलत है इसकी आड में प्रतिवादीगण वादीगण को विवादित आराजीयात से बेदखल करना चाहते हैं व विवादित आराजीयात को अन्य को आवंटन करने पर आमादा है ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराये जाने हेतु वाद पत्र प्रस्तुत है।
6. यह कि प्रतिवादीगण राज्य सरकार के प्रतिनिधिगण हैं जिनके विरुद्ध वाद पत्र प्रस्तुत किये जाने से पूर्व धारा 80 जा.दी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक है परन्तु प्रतिवादीगण ने वादीगण की खातेदारी की आराजीयात को बिलानाम कर बेदखल करने पर आमादा हो रहे हैं एवं किसी अन्य को आवंटित नहीं कर दे ऐसी स्थिति में वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र आवश्यक प्रकृति का हो जाने से वाद पत्र बिना नोटिस सर्व किये ही पेश किया जा रहा है जिसके लिए धारा 80 (2) जा.दी. का आवेदन मय शपथ पत्र के अलग से पेश है।
7. यह कि बिनाय मुखास्मत वादपत्र दिनांक 03.08.2016 को विवादित आराजीयात पर प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को बेदखल करने की धमकी देने से पैदा होकर निरंतर जारी है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।

वाद के समर्थन में वादीगण की ओर से निम्न दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए

1. नकल जमाबन्दी मौजा दौलतपुरा साबिक संवत् 2060-2063

19/7/21

2. नकल जमाबन्दी मौजा दौलतपुरा संवत् 2069-2072
3. मिलान क्षेत्रफल
4. विक्रय पत्र दिनांक 22.06.1983 की प्रति

लायक अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी गयी जिन्होंने वाद वर्णित तथ्यों को दौहराया । पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 के अंतर्गत रेवलिया खुर्द शिविर में प्रस्तुत होने पर उपलब्ध साक्ष्य अभिलेख का अधोपान्त अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। नकल जमाबन्दी मौजा दौलतपुरा की साबिक आ.नं. 84/ख रकबा 05 बीघा भूमि वादीगण के नाम भू प्रबन्ध से पूर्व खातेदारी में दर्ज रिकार्ड थी को भू प्रबंध के पश्चात भू प्रबंध अधिकारियों द्वारा उक्त उक्त आराजीयात के नवीन आराजी नम्बर 110 रकबा 0.54 हैक्टेयर कायम कर शेष भूमि को बिलानाम दर्ज कर दिया गया। जबकि वादीगण वर्तमान में आरजी नं. 111 एवं 113 पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं जो राजस्व रेकार्ड में बिलानाम सरकार दर्ज है। अतः आराजी नम्बर 111 रकबा 0.34 सम्पूर्ण एवं आराजी नम्बर 113 रकबा 0.22 हैक्टेयर में से 0.20 हैक्टेयर भूमि वादीगण के खातेदारी में दर्ज किया जाना उचित मानते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाता है कि वादीगण की खातेदारी में दर्ज मौजा दौलतपुरा प0ह0 बागुण्ड के साबिक आराजी नम्बर 84/ख रकबा 05 बीघा भूमि दर्ज थी। जिसके सेटलमेंट विभाग द्वारा नवीन आराजी नम्बर 110 रकबा 0.54 हैक्टेयर कायम कर शेष भूमि बिलानाम सरकार दर्ज कर दी गई लेकिन वर्तमान में वादीगण का आराजी नम्बर आरजी नं. 111 एवं 113 पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे हैं। इसलिये आराजी नम्बर 111 रकबा 0.34 सम्पूर्ण एवं आराजी नम्बर 113 रकबा 0.22 हैक्टेयर में से 0.20 हैक्टेयर भूमि को वादीगण भेरूलाल,किशनलाल एवं भगवानी बाई की खातेदारी में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा इसी आशय का पर्चा डिक्री अलग से मुर्तिब किया जावे।



निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

(अ.ज. शर्मा)  
उपरखण्ड अधिकारी  
भोपाल, जिला-भोपाल  
भदोसर